न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 153/2012

1. हेतराम
2. दानाराम
3. मोहनलाल

पिसरान लीलूराम जाति नायक निवासी घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर।
2. साहबराम पुत्र रामूराम
3. रूपाराम पुत्र रामूराम
4. सोहनलाल पुत्र रामूराम
5. कलावती पत्नी रामूराम

जाति नायक निवासी घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

6. सुमित्रा पत्नी महावीर जाति नायक निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

——**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

दिनांक 11.09.2012

उपस्थितिः–

श्री जीतपाल सैनी ,अभिभाषक अपीलांट

श्री इकबालसिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 व 3

निर्णय **दिनांक :– 09.10.2017**

अपीलांट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 11.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के द्वारा राज.उपनि.अधि.

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की धारा 13ए के प्रकरण में चक 1 ईईए के मु.नं. पुराना 91, नया 27 की 5 बीघा भूमि पर तहसीलदार पदमपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चक 1 ईईए के मु.नं. 41 हाल 11 के 7 बीघा, मु.नं. 91 हाल 27 के 15 बीघा कुल 22 बीघा भूमि दिनांक 16.07.1963 को सुरजाराम को आवंटित हुई थी। सुरजाराम ने मु.नं. 11 की 7 बीघा भूमि विक्रय कर दी तथा दिनांक 23.09.1975 को 15 बीघा भूमि देवीलाल, नन्दलाल को विक्रय कर दी। देवीलाल, नन्दलाल द्वारा मु.नं. 91 की कि.नं. 21 से 25 की 5 बीघा भूमि दिनांक 02.06.1978 को दानाराम को विक्रय कर दी। भूराराम व दानाराम की भूमि की शमन फीस जमा करवाकर नियमन दिनांक 08.11.1994 को किया जा चुका है। उक्त 5 बीघा भूमि देवीलाल से दिनांक 25.06.1963 को रामूराम द्वारा खरीद की गई। रामूराम द्वारा दिनांक 12.05.1995 को उक्त 5 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा लीलूराम को विक्रय कर दी। पूर्व में मु.नं. 27 की 10 बीघा भूमि धारा 13ए के तहत रिज्यूम की थी जिसकी अपील इस न्यायालय में पेश होने पर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.04.1991 को धारा 13ए के तहत मंजूरी लेने की शर्त हटा दी है फिर भी अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि क्रेतागण द्वारा बेचान को विधिमान्य घोषित करवाये बिना ही उक्त भूमि का लाभ उठा रहे हैं और शमन फीस जमा करवाने की अण्डरटेकिंग देने के पश्चात भी शमन फीस जमा नहीं करवायी। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया जो उचित है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.2012 के विरूद्ध पेश की है जिसका सार है कि अधी. न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.05.2012 व 10.07.2012 को दिये गये आदेशों की पालना नहीं करने से अपीलाधीन आदेश जारी किया गया था जिसमें विवादित आराजी को रिसीवरी में दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जो न्यायालय के आदेश की non- compliance में जारी रिसीवरी आदेश नियमानुकूल है तथा पत्रावली पर उपलब्ध सूचना अनुसार "चक 1 ईईए के मु.नं. पुराना 91 हाल 27 की 5 बीघा भूमि जो रामूराम द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 25.06.1983 से देवीलाल के कुदरतीवली पिता अर्जुनराम से क्रय की है, के अन्तरणों की शमन शुल्क मय ब्याज अण्डरटेकिंग पेश करके जमा नहीं करवायी गयी है। इस प्रकार क्रेता रामूराम के वारिसान उक्त अन्तरणों को बिना विधिमान्य घोषित करवाये विवादग्रस्त भूमि का अनुचित लाभ उठा रहें हैं। " अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर